प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

सत्यमेव जयते

Pension 14/I/2011-12/

Date: .06.2011

दिनांक / Date :

To
The Director of Treasuries and Accounts,
Hyderabad.

Sir,

Sub: Forwarding of Special Seal Authority regarding:

1. G.O. Regarding Dearness Relief to UP State Government Pensioners/Family Pensioners @ 45% w.e.f 01.07.2010.
2. G.O. Regarding Dearness Relief to UP State Government Pensioners/Family Pensioners @ 103% w.e.f 01.07.2010 (for unrevised Scale).
3. G.O. Regarding Pre-01.01.2006 Retired Judicial Services Officers.

Ref: Office of the Accountant General (A&E), -II, UP, Allahabad, Special Seal Authority No:

1. Circular No. Pen. (M)/ Dearness Relief/2948 dated 23.02.2011.

* * *

I am herewith enclosing a copy of letter issued by the Office of the Accountant General (A&E), -II, UP, Allahabad, in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the DTOs to download the orders and take necessary action at the earliest to minimise hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Vasu Rama Kumar
9/6/2011

Senior Accounts Officer

Copy to:
Joint Director, Pension Payment Office,
Hyderabad for information and necessary action.

दू०भा०/ Phone : 040-23236810-19, ई-मेल / E-mail : agaeAndhrapradesh@cag.gov.in
Web Site : http://ag.ap.nic.in फैक्स / Fax : 040-23232441 तार / Grams : Accounts

Registered/E-mail

Office of the Accountant General (A&E)-II, UP
20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad 211001
Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

सत्यमेव जयते

Under Special Seal

Circular No. Pen. (M)/Dearness Relief/ 2948 **Dated:-** 23.02.11
LID-31149,31150, ZERO

To,

Accountant General (A&E)
Andhra Pradesh Saifabad
Hyderabad 500004

Subject: - (1) G.O. Regarding Dearness relief to UP State Government Pensioners/Family Pensioners @ 45% w.e.f. 01-07-2010

(2) G.O. Regarding Dearness relief to UP State Government Pensioners/Family Pensioners @ 103% w.e.f. 01-07-2010 (For Unrevised Scales).

(3) G.O. Regarding Pre-01-01-2006 Retirees Judicial Services Officers

Sir,

I am forwarding herewith Copy of:-

(1)GO. Issued by Uttar Pradesh Government Vide No.Sa-3-2238/ X -2010-301/2000 T.C. Lucknow dated: 15 January, 2011 Dearness relief to UP State Government Pensioners/Family Pensioners @ 45% w.e.f. 01-07-2010

(2) GO No. Sa-3-2239/ X -2010-301/2000 Lucknow dated: 15 January, 2011 Dearness relief to UP State Government Pensioners/Family Pensioners @ 103% w.e.f. 01-07-2010 (For Unrevised Scales)

(3) G.O.No.2977/दो /-4-10-45(12)/91, T.C.VI Lucknow dated 04 November,2010 Regarding Pre-01-01-2006 Retirees Judicial Services Officers

It is requested that above mentioned Orders may please be circulated to all Treasuries situated in your State immediately under intimation to this office.

Enclosure: As Stated above

Yours faithfully

(Shyam mohan srivastava)
Sr. Accounts Officer

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या–सा–3–2238 / दस–2010–301 / 2000टी0सी0

लखनऊ : दिनाँक : 15 जनवरी,, 2011

कार्यालय – ज्ञाप

विषय : राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय – ज्ञाप संख्या–सा–3–1378 / दस–2010–301 / 2000 टी0सी0, दिनाँक 02 अगस्त,, 2010 जिसके द्वारा महँगाई राहत दिनाँक 01 जनवरी, 2010से 35 प्रतिशत स्वीकृत की गयी थी, के कम में राज्यपाल महोदय द्वारा, औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इस बीच हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय–ज्ञाप दिनाँक 02–8–2010 में उल्लिखित दरों का संशोधन करते हुए दिनाँक 01 जुलाई, 2010 से महँगाई राहत की 10 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2– पेंशनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में दिनाँक – 01 जुलाई, 2010 से 10 प्रतिशत की उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महँगाई राहत की दर 35 प्रतिशत से बढ़कर 45 प्रतिशत हो जायेगी।

3– महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नज़रअंदाज़ कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।

4– यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृष्ठांकन संख्या –सा–3 –जी0 आई0–38 / दस– 2010–301 / 2000, दिनॉक 12 अक्टूबर, 2010 द्वारा जारी किए जा चुके है।

5– यह आदेश शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

Government of Uttar Pradesh

Finance (General) Section-3

No-Sa-3-2238 /X-2010-301/2000 T.C.

Dated : Lucknow: 15 January, 2011

Office - Memorandum

Subject-Grant of dearness relief to State Government's civil / family pensioners.

The undersigned is directed to refer to the office memorandum No. Sa-3-1378/X-2010-301/2000 T.C. dated **August** 2, 2010 on the above mentioned subject, sanctioning additional instalment of dearness relief with effect from January 01, 2010 and to say that the Governor is pleased to further enhance by 10 percent, with effect from July 01, 2010, the rate of dearness relief admissible to all civil / family pensioners of this Government to compensate them for the rise, in the meanwhile, in the average consumer price index.

2- As a consequence of the above-mentioned 10 percent rise, the dearness relief payable on the pension will rise from existing 35 percent to 45 percent with effect from July 01, 2010.

3- In the calculation of dearness relief, fraction of a rupee less than its half shall be ignored while half or more shall be counted as one rupee.

4- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, employees of local bodies and public undertakings / corporations etc. in respect of whom separate orders will be issued by respective departments. Orders in respect of All India Service pensioners/ family pensioners have been issued vide endorsement number G-3-G.I.-38/X-2010- 301/2000, dated 12 October, 2010.

5- These orders will also be applicable to pensioners of institutions aided from State Fund, under the Education / Technical Education Departments, whose pension / family pension is at par with that of the pensioners of the State Government.

6— शासन के कार्यालय—ज्ञाप संख्या—ए—1—252/दस—10(3)—81, दिनॉक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार – पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय – ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महॅगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6- As per orders issued in O.M. No. A - 1 - 252 / X- 10 (3)- 81, dated April 27, 1982 the Accountant General's authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief shall be made by the concerned pension disbursing authorities on the basis of this office memorandum alone.

7— महॅगाई राहत स्वीकृति करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

7- Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as before.

(अनूप मिश्र)

प्रमुख सचिव, वित्त।

(Anoop Mishra)

Principal Secretary, Finance.

सेवा में,

1— उ0प्र0 शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

2— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।

3—प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन देहरादून ।

4— महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

To,

(1) All Principal Secretaries / Secretaries to Government of Uttar Pradesh, Heads of Departments / Offices, all Treasury Officers and other officers as per previous distribution list.

(2) Accountant General (A&E) I/II U.P. Allahabad.

(3) Principal Secretary Finance, Uttarakhand, Dehradoon.

(4) Accountant General (A&E) Uttarakhand, Dehradoon.

SP-718874
4/2

O/o A.G. A&E-II U.P.
UNIQUE No. 3115 D
Co-ordination
SECTION P MISC

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्या:सा–3–2239 / दस–2010–301 / 2000
लखनऊ : दिनाँक : 15 जनवरी, 2010

कार्यालय–ज्ञाप

विषय :– **अपुनरीक्षित वेतनमानों में पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा अनन्तिम पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को दिनाँक 01–07–2010 से महँगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–3–1379 / दस–2010–301 / 2000, दिनाँक 10 अगस्त, 2010 द्वारा जिन पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन की धनराशि पुनरीक्षित नहीं हुई है या संबंधित कार्मिक ने पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारित नहीं कराया है और तद्नुसार उन्हें अपुनरीक्षित वेतन के आधार पर पेंशन स्वीकृत हुई है, को पेंशन पर महँगाई राहत दिनाँक 01–01–2010 से 87 प्रतिशत की दर से स्वीकृत की गयी थी, के क्रम में उक्त श्रेणी के पेंशनर / पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत दिनाँक 01–07–2010 से 103 प्रतिशत की दर से अनुमन्य होगी।

2– यह भी स्पष्ट किए जाने की अपेक्षा की गयी है कि ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिन्हें अपुनरीक्षित अनन्तिम पेंशन मिल रही है, को उपरोक्तानुसार उल्लिखित दरों पर महँगाई राहत अनुमन्य होगी।

3– क्योंकि अनन्तिम पेंशन एवं उस पर महँगाई राहत का भुगतान अधिष्ठान बिलों पर आहरित करके किया जाता है, इसलिए यह प्रशासकीय विभागों का दायित्व होगा कि वे उपरोक्त प्रस्तर–2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अनन्तिम पेंशन की धनराशि पर महँगाई राहत की गणना करके भुगतान करें।

4– अतः उपरोक्त श्रेणी के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों तथा अनन्तिम पेंशन प्राप्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तद्नुसार महँगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

SSBr
200

अनूप मिश्र
(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव, वित्त।

महालेखाकार (ले0व ह0) द्वितीय उ0प्र0 डाक 07 FEB 2011 अनुभाग इलाहाबाद

DR (SS)
Sri Tariq
14/2/11

—2/—

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग–4
संख्या–2977/दो–4–10–45(12)/91,टी.सी.VI
लखनऊः दिनांक 04 नवम्बर, 2010

कार्यालय–ज्ञाप

न्यायिक अधिकारियों को सेवा नैवृत्तिक लाभों के सम्बन्ध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुतियों से सम्बद्ध रिट पिटीशन संख्या–1022/1989 से सम्बद्ध आई.ए. संख्या–244/09 में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.4.2009 द्वारा गठित जस्टिस ई. पद्मनाभन की संस्तुतियों को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.7.2010 एवं दिनांक 29.7.2010 तथा दिनांक 2.8.2010 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2– जस्टिस ई. पद्मनाभन समिति की रिपोर्ट दिनांक 17.7.2009 में सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों को निम्नलिखित रूप में यथावत स्वीकार करने की श्री राज्यपाल महोदय संहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं:–

(क) ऐसे न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 1.1.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हों।

1– दिनांक 1.1.2006 से पूर्व सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पेंशन के सम्बन्ध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुतियों पर पद्मनाभन समिति द्वारा स्वीकार की गयी संस्तुतियों के अनुसार निम्नलिखित व्यवस्थाएं प्रदान की जाती हैं:–

(ए) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी की पुनरीक्षित पेंशन समय–समय पर पुनरीक्षित वेतनमानों में उसके द्वारा सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के वेतनमान के न्यूनतम के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(बी) अधिकतम पेंशन की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

(सी) सेवारत न्यायिक अधिकारियों की भांति पेंशन भोगियों को Benefit of full neutralization of the cost of living अनुमन्य होगा।

(डी) दिनांक 1.1.2006 से पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारियों के द्वारा घरेलू सेवक का सेवायोजन किये जाने के प्रमाण पत्र के प्रस्तुतिकरण पर रूपया 2,500/–प्रति माह की दर से घरेलू नौकर भत्ता प्रदत्त होगा। इसके अतिरिक्त पारिवारिक पेंशनरों को भी रू0 1000/– प्रति माह की दर से घरेलू नौकर भत्ता प्रदान किया जायेगा। उक्त बढ़ी हुई दर तात्कालिक प्रभाव से देय होगी।

–2–

(ई) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को तात्कालिक प्रभाव से रूपया 1500/– प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता प्रदान किया जायेगा। पारिवारिक पेंशनरों को भी तत्कालिक प्रभाव से रू0 750/– प्रति माह की दर से चिकित्सा भत्ता देय होगा। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सदस्यों को चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में पूर्व में जारी शासनादेश सं0–1209/पॉच–6–2004–294/96 टी. सी. दिनांक 9.8.2004 की शर्तें यथावत रहेंगी।

(एफ) दिनांक 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों/पारिवारिक पेंशनरों को निम्न विवरण के अनुसार बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जायेगी:–

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु	अतिरिक्त पेंशन की मात्रा
80 वर्ष से अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत प्रतिमाह
85 वर्ष से अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत प्रतिमाह
90 वर्ष से अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत प्रतिमाह
95 वर्ष से अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष या अधिक	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

(ख) ऐसे न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 1.1.2006 या उसके बाद में सेवानिवृत्त/मृत हुए हों।

(1) पेंशन–

ऐसे न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 1.1.2006 या उसके बाद सेवानिवृत्त/मृत हुए हों को पूर्ण पेंशन हेतु अर्हकारीसेवा 20 वर्ष मानी जायेगी।

(2) पेंशन का राशि करण

दिनांक 1.1.2006 या उसके पश्चात सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पेंशन की राशि का राशिकरण पूर्व की भॉति 50 प्रतिशत की व्यवस्था यथावत रहेगी।

(3) ग्रेच्युटी/डेथ कम रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी

सेवानैवृत्तिक/मृत्यु ग्रेच्युटी का भुगतान राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही किया जायेगा जो रू0 दस लाख से अधिक नहीं होगा।

(4) अवकाश नकदीकरण

दिनांक 1.1.2006 या उसके पश्चात सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा पूर्व में जारी शासनादेशों में निर्धारित की गयी व्यवस्था को यथावत बनाये रखा जायेगा।

(5) पारिवारिक पेंशन

सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को समय—समय पर प्रदत्त पुनरीक्षित वेतनमानों के आधार पर पारिवारिक पेंशन 30 प्रतिशत की दर से स्वीकृत की जायेगी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के तद्विषयक नियमों/शासनादेशों की व्यवस्था के अनुसार ही पारिवारिक पेंशन निर्धारित की जायेगी।

(6) पेंशन की धनराशि

दिनांक 1.1.2006 या उसके बाद सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों को निम्न विवरण के अनुसार बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किया जायेगा।

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु	अतिरिक्त पेंशन की धनराशि
80 वर्ष से अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम	पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 20 प्रतिशत प्रतिमाह
85 वर्ष से अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम	पेंशन/पारिवारिक पेंशन पेंशन की धनराशि का 30 प्रतिशत प्रतिमाह
90 वर्ष से अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम	पेंशन/पारिवारिक पेंशन पेंशन की धनराशि का 40 प्रतिशत प्रतिमाह
95 वर्ष से अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम	पेंशन/पारिवारिक पेंशन पेंशन की धनराशि का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष या अधिक	पेंशन/पारिवारिक पेंशन पेंशन की धनराशि का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

(7) घरेलू नौकर भत्ता

सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को उनके बिना प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये ही रू0 2500/— प्रति माह की दर से घरेलू नौकर भत्ता स्वीकृत किया जायेगा। इसके साथ ही पारिवारिक पेंशनरों को भी उक्त सुविधा रू0 1000/— प्रति माह की दर से घरेलू नौकर भत्ता स्वीकृत किया जायेगा। उक्त सुविधा तत्कालिक प्रभाव से देय होगी।

(8) चिकित्सा भत्ता

सेवानिवृत्त पेंशनरों को रू0 1500/— प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता स्वीकृत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पारिवारिक पेंशनरों को भी रू0 750/— प्रति माह की दर से चिकित्सा भत्ता देय होगा। उक्त सुविधा तात्कालिक प्रभाव से देय होगी। साथ ही चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में पूर्व में जारी शासनादेश संo—1209 / पॉच—6—2004—294 / 96टी.सी. दिनांक—9.8.2004 की शर्तें यथावत रहेंगी।

3— इस शासनादेश में वर्णित घरेलू नौकर भत्ता, चिकित्सा भत्ता तत्कालिक प्रभाव से देय होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य सभी भत्ते दिनांक 1.1.2006 से प्रदान किये जायेंगे तथा इनका एरियर भुगतान माo उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 19.7.2010 के अनुपालन में 60 प्रतिशत एरियर का भुगतान तीन माह के भीतर एवं शेष 40 प्रतिशत एरियर का भुगतान अगले 09 माह के भीतर दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त माo उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2010 के अनुपालन में एरियर सहित उक्त समस्त भुगतान दिनांक 31.3.2011 तक कर दिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

4— यह आदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग—3 के अशासकीय संख्याः—साo—3—1100 / दस—2010 दिनांक 12 अक्टूबर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

4/11/2010

(कुँवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव।

संख्या—2977 / दो—4—10—45(12) / 91.टी.सी.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) श्री राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव / सचिव।
(2) प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद उ0 प्र0।
(3) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग।
(4) निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0 प्र0 लखनऊ।
(5) निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन उ0 प्र0 लखनऊ।
(6) निदेशक वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24 / 3, इन्दिरानगर, लखनऊ।
(7) सूचना निदेशक, उ0 प्र0 लखनऊ।
(8) समस्त अपर / संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उ0 प्र0।
(9) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

—5—